

**प्रसार शिक्षा निदेशालय**  
**डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय**  
**पूसा, समस्तीपुर, बिहार – 848125**

### निविदा सूचना

अनुभवी पौध प्रवर्धकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर पौध प्रवर्धन का कार्य दो वर्षों के लिए निष्पादित करना है, इस हेतु निविदा दिनांक 14.07.2020 तक निबंधित डाक द्वारा निदेशक प्रसार शिक्षा, डा०आर०पी०सी०ए०यु०,पूसा, समस्तीपुर, बिहार के पते पर आमंत्रित की जाती है जिसे 15.07.2020 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में खोला जायेगा। लिफाफे पर “पौध प्रवर्धन हेतु निविदा” अंकित होना चाहिये।

विशेष जानकारी एंव निविदा प्रपत्र तथा नियम एंव शर्तों के लिए अधोहस्ताक्षरी या विश्वविद्यालय वेबसाईट [www.rpcau.ac.in](http://www.rpcau.ac.in) से सम्पर्क किया जा सकता है।

20.6.2020  
निदेशक प्रसार शिक्षा  
पूसा

121

प्रसार शिक्षा निदेशालय  
डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा  
समस्तीपुर - ८४८१२५ (बिहार)

### निविदा प्रपत्र

निविदा दाता का नाम:-

पूरा पता:-

पत्राचार हेतु पता :-

आधार सं०

(प्रतिलिपि संलग्न करें)

1. आमः— i) प्रति पौधा आम का रुटस्टाक लाना एवं निर्धारित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थापित करने

की दर प्रति पौधा— रु०.....शब्दों में .....

ii) जीवित रुटस्टाक पर ग्राफिटिंग की दर प्रति पौधा— रु०.....शब्दों में .....

2. लीची, अमरुद, नीबु वर्गीये :— गूटी तैयार करके, नर्सरी में स्थापित कर, हस्तांतरण ३ महीने के बाद स्वस्थ / पौधे देने की दर :

लीची :— प्रति पौधा रु०.....शब्दों में .....

अमरुद :— प्रति पौधा रु०.....शब्दों में .....

नीबु वर्गीय :— प्रति पौधा रु०.....शब्दों में .....

3. ऑवला :— रुटस्टाक लाना, नर्सरी में स्थापित करना, वडिंग उपरान्त हस्तांतरण ३ महीने के बाद, स्वस्थ / पौधे देने की दर प्रति पौधा रु०.....शब्दों में .....

जमानत राशि — (बैंक ड्राफट द्वारा) बैंक का नाम एवं पता —

डी० डी० संख्या ..... दिनांक .....

राशि .....

देय — निदेशक प्रसार शिक्षा, डा० आर० पी० सी० ए० य०, पूसा

प्राप्तकर्ता — बैंक का नाम — पंजाब नेशनल बैंक, पूसा

आई० एफ० एस० सी० कोड — पी० यु० एन० बी० ०४५१२००

नोटः— जमीन, पानी, फसल सुरक्षा एवं प्रक्षेत्र सुरक्षा संबंधित कार्य केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

N.W.  
25.6.1070

## नियम एवं शर्तें :-

### लीची, अमरुद

लीची, अमरुद, के पौधे कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर प्रक्षेत्र पर तैयार होंगे जिनकी संख्या निम्नवत है।

अमरुद	10,000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
लीची	25,000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)

उपरोक्त लीची एवं अमरुद में गूटी बांधना और इसमें लगाने वाले सभी उपादान देना। मातृ वृक्ष केन्द्र द्वारा प्रभेदवार उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त कुल पौधों के गूटी बांधने उपरान्त 25 % अग्रिम भुगतान किया जायेगा। गूटी के नर्सरी में स्थापित करने के उपरान्त स्वस्थ पौधों की गणना करते हुए 25 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष अंतिम भुगतान तीन महीने बाद नर्सरी स्थापना के उपरान्त पौधों की कुल संख्या को देखते हुए बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

### ऑवला

ऑवला	2100	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
------	------	-----------------------

ऑवला के पौधे स्थापित कर, वडिंग के उपरान्त ही कुल स्वस्थ पौधे की गणना अनुसार 25 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष राशि का भुगतान नर्सरी में प्रतिरोपित करने के 3 (तीन) महीने बाद किया जाएगा।

### आम

आम के पौधे निम्नलिखित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर दी गई संख्या में बीजू पौधे लगाकर तैयार करना है।

बिरौली (समस्तीपुर)	22,500	विभिन्न प्रभेद
हरिहरपुर, वैशाली	16,700	विभिन्न प्रभेद
माधोपुर, प० चम्पारण	11,200	विभिन्न प्रभेद
मांझी, सारण	7350	विभिन्न प्रभेद
जाले, दरभंगा	5000	विभिन्न प्रभेद

क :- पौधा तैयार करने हेतु बीजू पौधे लाना और प्रतिरोपित करने के उपरान्त 1 महीने बाद स्वस्थ पौधों की गणना कर 50 % कुल पौधे की राशि का भुगतान किया जायेगा।

ख :- उचित समय पर ग्राफिटंग कार्य दिये गये प्रभेदों के आधार पर करने के उपरान्त बीजू पौधे की कुल राशि का भुगतान किया जायेगा।

ग:- ग्राफिटंग के तीन महीने के उपरान्त सफल ग्राफट की गणना उपरान्त कुल स्वस्थ पौधों के आधार पर 50 % ग्राफिटंग का भुगतान किया जायेगा।

✓  
20.6.2010

- ड़:- निर्दिष्ट नर्सरी में हस्तानन्तरण उपरान्त स्वरथ पौधों की गणना के आधार पर 15 दिनों के उपरान्त कुल राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

### नीबू वर्गीय

नीबू वर्गीये पौधे कृषि विज्ञान केन्द्र, पीपराकोठी, पूर्वी चम्पारण के प्रक्षेत्र पर तैयार होंगे जिनकी संख्या निम्नवत है। :

नीबू वर्गीय	6000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
-------------	------	-----------------------

उपरोक्त नीबू वर्गीये पौधे में गूटी बांधना और इसमें लगने वाले सभी उपादान देना। मातृ वृक्ष केन्द्र द्वारा प्रशेदवार उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त कुल पौधों के गूटी बांधने उपरान्त 25 % अग्रिम भुगतान किया जायेगा। गूटी के नर्सरी में स्थापित करने के उपरान्त स्वरथ पौधों की गणना करते हुए 25 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष अंतिम भुगतान तीन महीने बाद नर्सरी स्थापना के उपरान्त पौधों की कुल स्वरथ संख्या को देखते हुए बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

नोट :- 1. उपरोक्त दी गई संख्या से कम पौधे तैयार होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एंव सीमित अधिक पौध तैयार होने पर केन्द्र इसका भुगतान करेगा।

2. यह दर, नियम एंव शर्त वर्ष 2020-21 एंव 2021-22 के लिए मान्य होगी।
3. निविदा को पूर्ण एंव आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार कुलपति के पास होगा एंव किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एंव मान्य होगा।
4. भुगतान पौध तैयार करवाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।
5. जमानत राशि रु0 25000.00 (पच्चीस हजार मात्र) बैंक ड्राफट द्वारा देय होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।



निदेशक प्रसार शिक्षा